फिल्म प्रमाणन

- ❖ सभी को क्या जानना ज़रूरी है ?
- ❖ भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- ❖ फिल्म प्रमाणीकरण ज़रूरी क्यों है ?
- ❖ भारत में फिल्म प्रमाणीकरण ।
- ❖ फिल्म प्रमाणीकरण कौन करता है?
- ❖ के.फि.प्र.बो को अपने निर्णय के लिए क्या मार्गदर्शन करता है ?
- ❖ प्रमाणीकरण प्रक्रिया।
- ❖ प्रमाणीकरण का उल्लंघन।
- ❖ फिल्म पोस्टर।
- ❖ अच्छी फिल्म सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या करती हैं?
- ❖ उल्लंघनों के लिए दण्ड।
- ❖ आप को क्या करना है ?

1 भूमिका

विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग भारत में है और यहॉ प्रत्येक वर्ष 1250 से अधिक फीचर फिल्में और उससे भी कहीं अधिक संख्या में लघु फिल्में बनाई जाती हैं । आम तौर पर यह अनुमान किया जाता है कि भारत में प्रतिदिन करीब 1.50 करोड़ लोग देशभर के लगभग 13,000 सिनेमाधरों, वीड़ियो कैसेट या केबिल के ज़रिए फिल्म देखते हैं । यह कहा जा सकता है कि हर दो महीने में लगभग भारत के संपूर्ण जनसंख्या के बराबर लोग सिनेमाघरों में जाते हैं ।

फिल्मों में बहुत अधिक निवेश किया जाता हैं और इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता हैं इस बृहद् उद्यम में यह स्वाभाविक है कि फिल्म–निर्माता अपनी कला को उच्चतम बनाने के लिए अत्यधिक प्रयत्न करते हैं ताकि उन्हें अच्छा प्रतिफल मिल सके। इससे पहले उन्हें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि टेलिविज़न, वीड़ियो, केबल, और सभी सौटेलाईट आदि से प्रतिद्वंद्विता बढ़ गयी है । इसलिए यह स्वाभाविक है कि निर्माता कभी–कभी इस बात पर ज्यादा उत्साहित होकर, फिल्मों में जो प्रर्दशित करते है यह बहुत कम लोगों को पसंद आता हैं मगर अधिकतर लोग पसंद नहीं करते हैं ।

यहीं पर फिल्म सेंसरशिप अपना कार्य करता हैं ,खासकर जहॉ उल्लंघन है वहॉ सिर्फ प्रमाणीकरण पर्याप्त नहीं है और जहॉ तक पुलिस का सवाल है, उन्हें और भी बहुत सारे कार्यों को निभाना है। उन्हें इन उल्लंघनों को तलाशना मुश्किल हो जाता है इसलिए नागरिकों को आगे बढ़कर कानून को लागू करनेवाली ऐजन्सियों की सहायता करके फिल्म प्रमाणीकरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए सहायता करनी चाहिए ।

2. भाषण और अभिव्यक्ति की स्वातंत्रता

2.1 भारत में प्रेस स्वतंत्र हैं और वही स्वतंत्रता सिनेमा में भी लागू हैं । यह सरकारी नियंत्रण के बाहर स्वतंत्र उद्यम की तरह कार्य करता है । इस में फिल्म प्रभाग और दूरदर्शन शामिल नहीं हैं, उनका उद्देश्य जनता को मनोरंजन करने के साथ–साथ शिक्षण व जानकारी देना है । विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत का प्रेस किसी भी तरह के अधीनता से मुक्त है और वहीं स्वतंत्रता सिनेमा पर भी लागू है ।

2.2 यद्यपि स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है फिर भी संविधान में सिनेमा या प्रेस को अलग अलग नहीं दिखाया गया है। यह इसलिए है कि प्रेस और सिनेमा संविधान के मौलिक अधिकार के अध्याय में, खासकर अनुच्छेद 19(1) के अर्न्तगत आते हैं । इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है । अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह मतलब है कि व्यक्ति को मौखिक, लिखित, मुद्रित,चित्र या अन्य कोई माध्यम से मत प्रकट करने का अधिकार है, जिसमें फिल्म भी शामिल है ।

2.3. यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबन्ध के अधीन प्रस्तुत है । जिसमें भारत की प्रभुसत्ता और अखंण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सामाजिक व्यवस्था, शिष्टाचार सदाचार या न्यायालय के अवमान से संबंधित अपराध, निन्दा या प्रेरित करने पर प्रतिबंध लगाता है ।

2.4 इसलिए भारत के संविधानकर्ताओं को यह महसूस हुआ कि राष्ट्र और समाज के हित के लिए उचित प्रतिबन्ध आवश्यक है । इसलिए अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित स्वतंत्रता का आश्वासन और समाज के हित के बीच एक समान संतुलन भी होना चाहिए । इस के अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है क्यों कि संविधान द्वारा इस स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है ।

2.5 इसलिए यह स्पष्ट हो गया है कि मुद्रण, इलैक्ट्रानिक, फिल्म, या अन्य कोई माध्यम अपना मत या अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने में स्वतंत्र है लेकिन सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए उन पर कुछ नियंत्रण रखा जाय, चाहे बहुत लघुतम ही क्यों न हो ।

2.6 लोक हित को ध्यान में रखते हुए उचित प्रतिबन्धों की व्यवस्था है ,फिर भी जनता को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य है कि समाज के अनैतिक तत्वों द्वारा इस स्वतंत्रता का उल्लंघन न हो और संविधान व राज्य द्वारा उन्हें प्रदत्त इस स्वतंत्रता का दुरूपयोग न किया जाय ।

3. फिल्म प्रमाणन ज़रूरी क्यों है ?

3.1 जब कि हमारे देश में मीड़िया स्वतन्त्र है, सार्वजनिक हित में यह ज़रूरी माना जाता है कि कोई भी उत्पादन सार्वजनिक उपभोग के लिए प्रस्तुत करने से पहले उस उत्पादन की जांच की जाए। जब कि प्रकाशित सामग्री के लिए सेंसरशिप ज़रूरी नहीं है वही फिल्मों के लिए वह बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोगों पर दृश्य–श्रवण माध्यम का प्रभाव अन्य मुद्रित शब्दों से कहीं अधिक हो सकता है ।

3.2 फिल्म सेंसरशिप या प्रमाणीकरण फिल्मों की पूर्वप्रदर्शन प्रक्रिया का अन्तिम फल है । इस प्रक्रिया में यह निर्णय लिया जाता है कि एक फिल्म को सार्वजनिक प्रर्दशन के लिए स्वीकृति देनी है या कुछ कांट–छांट/और उपान्तरों के साथ स्वीकृती देनी है । इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करना है कि लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से क्षति पहुंचानेवाले मामलों का प्रतिपादन न हो ।

3.3 तीन साल पहले उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि फिल्मों का सेंसरशिप इसलिए जरूरी है कि एक फिल्म विचार और प्रवृत्ति को प्रेरित करती है, जब कि मुद्रित शब्दों की तुलना में वह कहीं अधिक अनुपात में ध्यान और स्मरण सुनिश्चित करती है । थिएटर के अर्ध–अंधेरे कमरे में सभी विचलित विचारों को दूर करके बैठे हुए दर्शकों के मन में अभिनय, वाणी, दृश्य और ध्वनि के मेल से न सिर्फ उनके मन पर बल्कि उनके विचारों पर भी प्रभाव पडता है । इसलिए इसे अच्छाई के प्रति जितनी क्षमता है उतनी ही हीनता के प्रति है । इसमें अच्छे और हिंसात्मक व्यवहार को बनाने और बनाए रखने की समान क्षमता है । संचार के अन्य माध्यम इससे बराबरी नहीं कर सकते हैं । सेंसरशिप का पूर्व–नियंत्रण स्प्रहणीय ही नहीं बल्कि अत्यावश्यक भी है ।

4. भारत में फिल्म सेंसरशिप

4.1 चलचित्र अधिनियम 1952 (अधिनियम 1952 के 37) में संविधान से संबंध रखनेवाले प्रावधानों और के.फि.प्र.बो या केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (उस समय केन्द्रीय फिल्म सेंसर्स के नाम से जाना जाता था) की कार्यप्रणाली को शामिल करने के अलावा फिल्म प्रमाणीकरण के मार्गदर्शक सिद्धान्तों

को भी शामिल किया गया है। प्रारंभ में प्रमाणपत्रों के दो वर्ग थे 'अ'– अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रर्दशन और 'व'–वयस्क दर्शकों के लिए निर्बन्धित। जून,1983 में दूसरे दो वर्ग शामिल किए गये है 'अव'–अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रर्दशन के लिए किन्तु इस चेतावनी के साथ कि 12 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिका को माता–पिता के मार्गदर्शन के साथ फिल्म देखेंगे और 'एस' किसी विशिष्ठ व्यक्तियों (जैसे डाक्टर)के लिए प्रमाणित करते है । अधिनियम 1952 को अद्यतन करने के लिए संशोधन किया गया हैं । अन्तिम संशोधन 1981 और 1984 में हुआ है ।

4.2 फिल्मों की वर्तमान सेंसरशिप, अधिनियम 1952, और उसके बाद जारी किए गए चलचित्र प्रमाणन नियम 1983 के ज़रिए तथा समय समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों से नियंत्रित किया जाना हैं । दिसंबर 6, 1991 को जारी किए गए मार्गदर्शन सिद्धान्त अद्यतन है। अधिनियम की धारा 5(ख) के अन्तर्गत इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों को जारी किया जाता है, जो यह कहते है कि :– यदि प्रमाणपत्र जारी करनेवाले सक्षम अधिकारी की राय में फिल्म या उसका कोई भाग राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों के विरूद्ध है, या उसमें मानहानि, या न्यायालय का अवमान है, या किसी अपराध किए जाने का उद्धीपन हो, तो फिल्म सार्वजनिक प्रर्दशन के लिए प्रमाणित नहीं की जाएगी ।

5. फिल्म सेंसरशिप कौन करता है?

5.1 के.फि.प्र.बो या केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (जून 1983 तक केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता था) की स्थापना मुंबई में की गई । प्रारंभ में उसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई,चेन्नई और कलकत्ता में था। अभी ऐसे नौ कार्यालय है–जो मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बैंगलूर, हैदराबाद, तिरूवनन्तपुरम, नई दिल्ली, कटक और गोहाटी में स्थित है ।

5.2 अधिनियम 1952 की धारा 5(घ) के तहत फिल्म प्रमाणीकरण अपील अधिकरण का गठन किया गया है । के.फि.प्र.बो के किसी आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई इस में की जाती हैं । यह अधिकरण नई दिल्ली में है ।

5.3 जब कि फिल्म प्रमाणीकरण का कार्य केन्द्र का विषय है, अधिनियम 1952 के तहत दण्ड प्रावधानों को लागू कर अपराधियों को सज़ा देने का अधिकार राज्य को है ।

5.4 के.फि.प्र.बो का संघटनात्मक ढॉचा चलचित्र अधिनियम 1952 और चलचित्र प्रमाणन नियम 1983 के उपबन्धों पर आधारित है । केन्द्र सरकार द्वारा बोर्ड में एक अध्यक्ष और कम से कम बारह से लेकर पच्चीस तक सदस्यों की नियुक्ति की जाती है । इनकी नियुक्ति का कालावधि तीन वर्ष से

अधिक नही होता है । ये सदस्य समाज के विविध स्तर से होते है जैसे कि सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, कला, फिल्म आदि का प्रतिनिधित्व करते है ।

5.5 के.फि.प्र.बो के क्षेत्रीय कार्यालयों में फिल्म प्रमाणीकरण के लिए परामर्शदाता पैनेल की सहायता लेते है और क्षेत्रीय अधिकारी प्रत्येक कार्यालय के प्रधान हेाता है । इन पैनेलों के सदस्य समाज के विविध स्तर और अभिरूचि के प्रतिनिधी होते है । सदस्यों को कार्यभार संभालने की कालावधि दो वर्ष से अधिक नहीं है तथापि इन्हें पुनःनियुक्त किया जा सकता है ।

5.6 फिल्म प्रमाणीकरण में द्विदलीय जूरी व्यवस्था प्रदान करने के लिए के.फि.प्र.बो को परीक्षण और पुनरीक्षण समितियों में बांटा गया है । परीक्षण समिति में मत–भिन्नता या समिति के निर्णय से आवेदक संतुष्ट न होने की स्थिति में अध्यक्ष उस फिल्म को पुनरीक्षण समिति को भेजा सकते है ।

5.7 भारत में आयात होनेवाली विदेशी, डब और वीडियो फिल्म के लिए भी प्रमाणीकरण नियम लागू होते है । डब फिल्मों के दृश्यों के मामले में आम तौर पर के.फि.प्र.बो पुनः प्रमाणित नहीं करता है , केवल दूरदर्शन के लिए बनाए गए फिल्मों के लिए प्रमाणन लागू नहीं है और दूरदर्शन कार्यक्रमों को सेंसरशिप उपबन्धों से छूट दिया गया है क्योंकि उन फिल्मों के परीक्षण के लिए दूरदर्शन की अपनी व्यवस्था है, उन फिल्मों के परीक्षण के लिए दूरदर्शन की अपनी व्यवस्था है ।

6. के.फि.प्र.बो को उनके निर्णय के लिए क्या मार्गदर्शन करता है ?

स.का.नि. 836 (ई)केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम,1952 (1952 का 37) की धारा 5 ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.9 (अ) तारीख 7 जनवरी, 1978 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निदेश देती है कि फिल्म के सार्वजनिक प्रर्दशन की मंजूरी देने के लिए फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के निम्नलिखित मार्गदर्शन सिद्धान्त होंगे ।

1. फिल्म प्रमाणीकरण का उद्धेश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि :

   (क) फिल्म माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बना रहें।

   (ख) कलात्मक अभिव्यक्ति और सर्जनात्मक स्वतंत्रता पर असम्यक् रूप से रोक न लगाई जाए।

   (ग) प्रमाणन–व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी हो ।

(घ) फिल्म माध्यम स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करें: और

(ड़) यथासंभव फिल्म सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण और चलचित्र की दृष्टि से अच्छे स्तर की हो ।

2 उपर्युक्त उद्धेश्यों के अनुसरण में फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि :–

(1) हिंसा जैसी समाज विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहराई जाएं

(2) अपराधियों की कार्यप्रणाली, अन्य दृश्य या शब्द जिनसे कोई अपराध का करना उद्धीप्त होने की संभावना हो, चित्रित न की जाए

(3) ऐसे दृश्य न दिखांए जाएं जिनमें :–

(क) बच्चों को हिंसा का शिकार या अपराधकर्ता के रूप में, अथवा हिंसा के बलात दर्शक के रूप में शरीक होते दिखाया गया हो या बच्चों का किसी प्रकार दुरूपयोग किया गया हो :

(ख) शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो अथवा मजाक उड़ाया गया हो : और

(ग) पशुओं के प्रति क्रूरता या उनका दुरूपयोग के दृश्य अनावश्यक रूप से न दिखाए जाए ।

(4) मूलतः मनोरंजन प्रदान करने के लिए हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य और ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनसे लोग संवेदनहीन या अमानवीय हो सकते हो :

(5) वे दृश्य न दिखाए जाएं जिनमें मद्यपान को उचित ठहराया गया हो या उसका गुणगान किया गया हो ।

(6) (क)नशीली दवाओं के सेवन को उचित ठहराने वाले या उनका गुणगान करनेवाले दृश्य न दिखाए जाएं ।

(6) (ख)तंबाकू सेवन या धूम्रपान को बढ़ावा देने,न्यायोचित ठहराने या उसे गौरवान्वित करनेवाले दृश्य न दिखाए जाए ।

(7) अशिष्टता, अश्लीलता और दुराचारिता द्वारा मानवीय संवेदनाओं को चोट न पहॅूचाई जाए।

(8) दो अर्थों वाले शब्द न रखे जाएं जिनसे नीच प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता हो ।

(9) महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार का तिरस्कारपूर्ण या उन्हें बदनाम करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं ।

(10) महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा जैसे बलात्संग की कोशिश,बलात्संग अथवा किसी अन्य प्रकार का उत्पीड़न या इसी किस्म के दृश्यों से बचा जाना चाहिए तथा यदि कोई ऐसी घटना विषय के लिए प्रासंगिक हो तो ऐसे दृश्यों को कम से कम रखा जाना चाहिए और उन्हें विस्तार से नहीं दिखाना चाहिए ।

(11) काम–विकृतियों दिखानेवाले दृश्यों से बचा जाना चाहिए । यदि विषयवस्तु के लिए ऐसे दृश्य दिखाना संगत हो तो इन्हें कम से कम रखा जाना चाहिए और इन्हें विस्तार से नहीं दिखाया जाना चाहिए।

(12) जातिगत, धार्मिक या अन्य समूहों के लिए अवमाननापूर्ण दृश्य प्रदर्शित या शब्द प्रयुक्त नहीं किए जाने चाहिए ।

(13) सांप्रदायिक, रूढ़िवादी, अवैज्ञानिक या राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियों को दिखानेवाले दृश्यों या शब्दों को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए ।

(14) भारत की प्रभुसत्ता और अखंड़ता पर संदेह व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए ।

(15) ऐसे दृश्य प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए जिनसे देश की सुरक्षा जोखिम या खतरे में पड़ सकती हों ।।

(16) विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों में मनोमालिन्य नहीं आना चाहिए ।

(17) कानून व्यवस्था खतरे में नहीं पड़नी चाहिए ।

(18) ऐसे दृश्य या शब्द नहीं प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे किसी व्यष्टि या व्यष्टि–निकाय या न्यायालय की मानहानि या अवमानना होती हो

व्याख्याः ऐसे दृश्य जिनसे नियमों के प्रति घृणा,अपमान या उपेक्षा पैदा हो या जो न्यायालय की प्रतिष्ठा पर आघात करें न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आएंगे ।

(19) संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम 1950 (1950 का 12) के उपबन्धों के अनुरूप से अन्यथा राष्ट्रीय चिह्न और प्रतीक न दिखाए जाए ।

3 फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि :–

(i) फिल्म का मूल्यांकन उसके समग्र प्रभाव को दृष्टि में रखकर किया गया है और

(ii) उस फिल्म पर उस काल, देश की तत्कालीन मर्यादाओं और फिल्म से संबंधित लोगों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है परन्तु फिल्म दर्शकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करती हो।

4 ऐसी फिल्में , जो उपर्युक्त मापदण्डों पर खरी उतरती हो, किन्तु अवयस्कों को दिखाए जाने के लिए अनुपयुक्त हों, केवल वयस्क दर्शकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रमाणित की जाएंगी ।

5 (1) निर्बाध सार्वजनिक प्रर्दशन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करते समय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म परिवार के साथ देखने योग्य है अर्थात फिल्म ऐसी होनी चाहिए जिसे परिवार के सभी सदस्य जिसमें बालक है, के साथ बैठकर देखा जा सकता हो ।

(2). फिल्म के स्वरूप,विषय वस्तु और उद्धेश्य को देखते हुए यदि बोर्ड का यह मत हो कि माता–पिता/अभिभावकों को सावधान करना ज़रूरी है कि क्या बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे को यह फिल्म दिखाई जाए तो निर्बाध सार्वजनिक प्रर्दशन के प्रमाणीकरण करते समय इस आशय का पृष्ठांकन किया जाएगा ।

(3) यदि फिल्म के स्वरूप,विषय वस्तु और उद्धेश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड का यह मत हो कि फिल्म का प्रर्दशन किसी व्यवसाय विशेष के सदस्यों या किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों तक सीमित रखा जाना चाहिए तो फिल्म सार्वजनिक प्रर्दशन के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट दर्शकों तक सीमित रखने के लिए प्रमाणित की जाएगी ।

6 बोर्ड फिल्मों के शीर्षको की बड़े ध्यान से जांच करके सुनिश्चित करेगा कि ये शीर्षक उत्तेजक, अश्लील, आक्रामक अथवा उपर्युक्त मापदण्ड़ों में से किसी मानदण्ड का उल्लंघन न करते हो ।

7 प्रमाणन प्रक्रिया

7.1 चलचित्र प्रमाणीकरण नियम 1983 में यह स्पष्ट दिया गया है कि निर्माता को अपने फिल्म या वीडियो फिल्म को प्रमाणित कराने के लिए विनिर्दिष्ट कार्यवाहियां तथा उनके लिए क्या कदम उठाना है जैसे कितना शुल्क भरना है और क्या–क्या दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं।

7.2 नियम 21 में यह उल्लेख किया है कि फिल्म या वीडियो फिल्म और उसकी अन्य सामग्रियां संबंधित स्थानीय कार्यालय के अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है। फिल्म की सभी सामग्री, आवश्यक शुल्क और लिखित सामग्री प्राप्त होने के बाद फिल्म देखने के लिए क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा परीक्षण समिति बुलाया जाता है । नियम 22 के तहत लघु फिल्म के परीक्षण समिति में बोर्ड

के एक अधिकारी और परामर्शदाता पैनेल के एक सदस्य होंगे । इन दोनों सदस्यों में से एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है । लंबी/ फीचर फिल्म की मामले में के.फि.प्र.बो के एक अधिकारी और परामर्शदाता पैनेल की चार सदस्य होंगे, और इनमें से दो महिला सदस्य का होना अनिवार्य है । फिल्म के पूर्वप्रदर्शन के बाद के.फि.प्र.बो को यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक सदस्य कांट–छांट और/या उपान्तरों की और फिल्म को किस वर्ग में प्रमाणित करने के संबंध में अपनी सिफारिश की रिपोर्ट लिखित रूप में देना है । और यह रिपोर्ट अध्यक्ष को दी जाती है । अध्यक्ष द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी को आगे की कार्यवाही प्रारंभ करने का आदेश देते है ।

7.3 इसके अलावा अध्यक्ष अपने स्वप्रस्ताव या आवेदक के निवेदन से, यदि वे चाहें तो नियम 24 के तहत फिल्म पुनरीक्षण समिति को भेजा जा सकता है । पुनरीक्षण समिति में अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में बोर्ड का एक सदस्य होना है और के.फि.प्र.बो व परामर्शदाता पैनेल के नौ से अधिक सदस्य न हो, को समावेश करना है, बशर्ते कि वे परीक्षण समिति के सदस्य न हो । परीक्षण समिति को दिखाए गए वही प्रिन्ट बिना परिवर्तन किए पुनरीक्षण समिति को दिखाया जाता है और प्रत्येक सदस्य को थिएटर छोडने के पहले अपना निर्णय रिकॉर्ड करना होता है । यदि अध्यक्ष बहुमत से अनुकूल नहीं है तो फिल्म को दूसरी पुनरीक्षण समिति द्वारा देखने का निर्देश दिया जा सकता है । पुनरीक्षण समिति में पांच सदस्य हो और उनमें से दो व्यक्ति महिला हो, उपनियम (2) के अन्तर्गत गठित इस समिति के कुल सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या बशर्ते आधा से कम न हो ।

7.4 आवेदक को बोर्ड के निर्णय से अवगत कराने के बाद वह काटे गए दृश्यों को यदि निदेर्शित है तो, क्षेत्रीय अधिकारी के पास प्रमाणित फिल्म की एक प्रति के साथ प्रस्तुत करेगा ।

7.5 बोर्ड द्वारा जारी करनेवाले आदेश यदि उसका प्रभाव प्रतिकूल मे है तो उसके जारी करने के पहले फिल्म के आवेदक को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है ।

7.6 अधिनियम 1952 की धारा 5ग के तहत यदि मामला फिल्म प्रमाणीकरण अपील अधिकरण को जाते है तो फि.प्र.अ.अ अपने निर्णय लेने के पहले आवेदक और के.फि.प्र.बो को सुनाता है और इसकी अध्यक्षता सेवा निवृत्त न्यायाधीश करते है और इसमें चार अन्य सदस्य भी होते है ।

8 सेंसरशिप का उल्लंघन

8.1 जैसे पहले सूचित किया गया है कि सार्वजनिक प्रर्दशन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करना केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का कर्तव्य है । फिर भी चलचित्र अधिनियम 1952 के दण्ड प्रावधानों को लागू करना राज्य/संघ राज्य सरकार का कार्य है क्योंकि फिल्मों का प्रर्दशन करने का विषय राज्य से संबंधित है ।

8.2 विविध प्रकार के ऐसे उल्लंघनें है जिन्हें कई बार रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि समाज के लोगों से या कानून प्रर्वतन एजेन्सियों से कोई रोक–थाम और शिकायत नहीं मिलती है ।

8.3 लोगों के मन को आन्दोलित करनेवाले मुख्य उल्लंघन निम्नलिखित है :–

(क) 'व' प्रमाणपत्रवाली फिल्म नाबालिकों के लिए प्रर्दशन ।

(ख) 'एस' प्रमाणपत्रवाली फिल्म का प्रर्दशन उन व्यक्ति जिनके लिए अभिप्रेत है के बजाय अन्य वर्ग के लिए प्रर्दशन ।

(ग) फिल्म को प्रमाणित रूप से अलग रूप में प्रर्दशन । इन उल्लंघनों को अर्न्तवेशन कहा जाता है । उल्लंघनों का विविध प्रकार नीचे दिए गए हैं :–

(1) फिल्म के प्रमाणीकरण के पहले बोर्ड द्वारा काटे गए अंशों को प्रर्दशन के समय फिल्म के प्रिन्ट में पुनःजोड़ना ।

(2.) प्रमाणीकरण के लिए बोर्ड को न दिखाए गए भागों को फिल्म के प्रिन्ट में जोड़ना।

(3) प्रमाणित फिल्म से संबंध न रखनेवाले भागों का प्रर्दशन ।

(घ) उस फिल्म का प्रर्दशन जिसको प्रमाणपत्र की अस्वीकृति दी है या बोली में प्रतिबन्ध लगाया गया हो ।

(ड़) दूसरे फिल्म के नकली प्रमाणपत्र के साथ अप्रमाणित फिल्मों का प्रर्दशन ।

(च) सेंसर प्रमाणपत्र के बिना फिल्मों का प्रर्दशन ।

9 फिल्म पोस्टर

9.1 दूसरा उल्लंघन है थिएटर में दिखाए जानेवाले अश्लील और असभ्य फिल्म पोस्टर। अधिनियम 1952 में पोस्टर या फिल्म विज्ञापनों की उल्लेख नहीं है । यह प्रत्येक राज्य के, अश्लीलता से संबंधित सामान्य कानून, खासकर भारतीय दण्ड संविदा की धारा–292 के अर्न्तगत आता है । इसके अलावा यह राज्य सरकार और संघ राज्य प्रशासन के क्षेत्र में भी आता है, खास तौर पर कानून प्रवर्तन एजेन्सी जैसे कि पुलीस समाविष्ट है ।

9.2 इस मामले का नियंत्रण केन्द्र/राज्य सरकार का कानून करता है । महिलाओं के असभ्य चित्रण निषेध अधिनियम 1986 का अनुशासन मानव अनुसंधान विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता हैं। परन्तु कार्यान्वयन का दायित्व स्थानीय प्राधिकार को ही है । पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म विज्ञापन सामग्रियों के अनिवार्य प्रमाणीकरण के लिए अश्लील और अयभ्य पोस्टरों पर रोक लगाने के लिए पश्चिम बंगाल अधिनियम 1974 बनाया है।

9.3 फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि,इस मामले में फिल्म उद्योग स्वयं कार्यवाही करेगा । इसलिए फिल्म पब्लिसिटी स्क्रीनिंग कमिटी बनायी गयी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है । इसके क्षेत्रीय कार्यालय बैंगलूर, हैदराबाद, मद्रास और

तिरूवनन्तपुरम में है । समिति ने अपना कार्य एप्रिल 1990 से प्रारंभ किया । यह समिति फिल्म पोस्टरों और अन्य विज्ञापन सामग्रियों में महिलाओं के अनादरपूर्ण चित्रीकरण और अश्लीलता या हिंसा को विशेष रूप से जॉचती है ।

9.4 इस स्थिति में संतोषजनक सुधार आने तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस पर नज़र रखने का निर्णय लिया हैं ।

10. स्वच्छ फिल्म सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या करती हैं?

10.1 संपूर्ण भारत में लगभग 13,000 सिनेमाधर है । इसके अलावा देश में लाखों वीडियो लाइब्रेरियां और वीडियो पार्लर भी है । इसलिए सरकारी मशीनरी को फिल्म सेंसरशिप प्रावधानों के उल्लंघनों की जॉच करना कठिन कार्य है । नागरिकों के मान–मर्यादाओं का उल्लंघन न होकर परिपूर्ण और स्वच्छ मनोरंजन पाने के लिए उन्हें सक्रियता से आगे बढ़ना है ।

10.2 सरकार समय समय पर राज्य सरकार और संघ राज्य प्रशासनों को उनके समस्याओं पर सतर्क करती है और उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती रहती है । उन्हें अन्तर्वेशन के मामलों और अप्रमाणित फिल्मों के प्रर्दशन के लिए अधिक प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है ।

10.3 इस समस्या का निवारण और दण्ड प्रावधानों को सशक्त बनाने के लिए कानून में स्पष्ट नियमों का निर्धारण किया गया है ।

10.4 अधिनियम 1952 की धारा 5ड़ के तहत केन्द्रीय सरकार को कोई फिल्म के लिए प्रदत्त प्रमाणपत्र को नियत अवधि तक निलंबित करने या यदि फिल्म के प्रमाणित रूप से भिन्न रूप में प्रर्दशन किया गया तो, प्रमाणपत्र को रद्द कर सकते है । धारा 5 च के तहत आवेदक को दिए गए प्रमाणपत्र के लिए अपील/पुनरवलोकन करने का अधिकार है ।

10.5 अधिनियम 1962 की धारा 6 के तहत सरकार को नियम विरूद्ध मामलों पर कार्रवाई करने के लिए पुनरवलोकन शक्ति प्रदत्त है । इस के अनुसार सरकार कोई फिल्म के संबंध में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के कार्यवाहियों का अभिलेख मांग सकता है और ऐसे आदेश जारी कर सकते है जिस में फिल्म के लिए प्रदत्त प्रमाणपत्र को निलंबित या प्रमाणपत्र को कांट–छाट के साथ या बिना कांट–छाट या अधिक कांट–छाट के आदेश पारित किया जा सकता है जो उन्हें उचित समझें ।

1. उल्लंघनों के लिए दण्ड

सेंसरशिप प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित सभी अपराध अवेक्षणीय है इसके अलावा यह अजमानती भी है ।

अधिनियम 1952,की धारा 7 के तहत यदि सेंसरशिप प्रावधानों का कोई उल्लंघन हो या प्रमाणित फिल्मों में यदि कोई अर्न्तवेशन या हेर फेर हो, यदि कोई अप्रमाणित फिल्म का प्रर्दशन हो,या यदि वयस्क दर्शकों के लिए प्रमाणित फिल्म नाबालिक को दिखाए जाए, या यदि 'एस' प्रमाणपत्र के फिल्म को उससे संबंधित व्यक्तियों के अतिरिक्त लोगों के लिए

प्रर्दशन हो, तो यहॉ उल्लिखित दण्ड–प्रावधानों को लागू कर सकते हैं । धारा 6(क) के तहत कोई व्यक्ति द्वारा एक फिल्म को प्रर्दशक या वितरक को देते समय वह उस फिल्म के कॉट–छाट, प्रमाणीकरण, शीर्षक, लंबाई और प्रमाणीकरण के शर्तों का विवरण देना है और इसके उल्लेघन होने पर दण्ड लागू कर सकते है ।

धारा 7 के तहत अपराधी को उल्लंधन के लिए तीन वर्ष के कारावास या एक लाख रूपए तक का जुर्माना या दोनों और दुबारा अपराध के लिए रू. 20,000/– प्रतिदिन अधिक जुर्माना है ।

वीडियो फिल्म के प्रर्दशन में अधिनियम के उल्लंधन करने पर कम से कम तीन महीने के कारावास से लेकर अधिकतम तीन साल तक और कम से कम जुर्माना रू. 20,000/–से लेकर एक लाख तक और दुबारा अपराध के लिए प्रतिदिन रू. 20,000/– अधिक जुर्माना है ।

इसके अतिरिक्त जांच अदालत द्वारा अपराधी फिल्म को जप्त करने का निर्देश दे सकता है । धारा 7(क) के तहत कोई पुलीस अधिकारी ऐसे सिनामाघर में प्रवेश कर सकते हैं जहां उल्लंघित फिल्म दिखाई जा रही है और उस फिल्म को जप्त कर सकते है ।

आप को क्या करना है ?

यह स्पष्ट है कि उल्लंघन ढूँढ़ने में पुलीस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और वे अन्य समस्याओं में पहले से ही व्यस्त होने के कारण सामान्य जनता की सहकार्यता के बिना इस भूमिका को पूरी तरह से निभा नहीं सकती । यहां प्रत्येक प्रेक्षक को, उसे प्राप्त मनोरंजन के प्रकार के अनुसार कार्य करना है ।

चलचित्र प्रमाणन नियम 1983 की धारा 30(3) के तहत प्रर्दशित फिल्म के लिए बोर्ड द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र का वर्ग और कांट–छाट या परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाया जाए ।

जब भी कोई व्यक्ति को एक फिल्म देखते समय ऐसे कोई दृश्य दिखाई देता है जो उन्हें लगता है कि उसकी स्वीकृति नहीं देनी चाहिए या अन्तर्वेशन का संदेह हो तो उनके द्वारा देखे गए दृश्य को प्रमाणपत्र और कांट–छाट के विवरण के साथ तुलना कर सकते है ।

यदि किसी को ऐसा लगता है कि एक फिल्म में प्रमाणीकरण की कोई शर्त का उल्लंघन करता है, तो उन्हें इसकी जानकारी पुलीस को देनी है और अधिनियम 1952 की धारा–7 के अर्न्तगत वह प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कर सकते है ।

रिपोर्ट करने के बाद धारा–7 के तहत पुलीस अधिकारी को उस पर तुरन्त कार्रवाई करने का अधिकार प्रदत्त है । यदि उसे प्रथम दृष्ट्या उल्लंघन दिखाई देता है तो उस फिल्म के प्रिन्ट को जप्त करके जॉच के लिए के.फि.प्र.बो में ला सकता है ।

जब कि प्रमाणीकरण के समय हरएक प्रमाणित फिल्म की प्रति और

कांट–छाट के सभी दृश्यों को के.फि.प्र.बो में जमा करना है। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी के. फि.प्र.बो में जमा किया हुआ प्रति के साथ जप्त प्रिन्ट का परीक्षण विशेष कार्यकारी मेजिस्ट्रेट के समक्ष करते है । उसके बाद मेजिस्ट्रेट अपना रिपोर्ट बनाते है धारा 7 के अर्न्तगत प्रस्तुत अभियोग आधार पर सभी औपचारिकताएं पूरा करने के प्रश्चात कार्रवाई प्रारंभ करते हैं ।

1. कार्रवाई के लिए जॉच–बिन्दु

कृपया यह देखें कि विज्ञापन पोस्टरों में के.फि.प्र.बो द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र (अ, अव, व और एस) का वर्ग दिखाया गया है ।

कृपया यह जांच करें कि के.फि.प्र.बो द्वारा फिल्म को दिए गए कांट–छाट या परिवर्तन की सूची थिएटर में सुस्पष्ट स्थान पर दिखाया गया है ।

कृपया यह जांच करें कि फिल्म के शुरूआत में के.फि.प्र.बो द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र दिखाया जाता है ।

कृपया यह देखें कि 'व' प्रमाणपत्र प्राप्त फिल्म देखने के लिए थिएटर के अन्दर 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिक दिखाई देता है ।

कृपया यह जॉच करें कि के.फि.प्र.बो के कांट–छाट की सूची के अनुसार कांटे गए कोई दृश्य या संवाद थिएटर में प्रर्दश्ति फिल्म में दिखाई देता है ।

कृपया यह देखें कि आपके मुताबिक फिल्म में ऐसा कोई दृश्य है, जो अश्लील या असभ्य या हिंसा से भरे हो । यह संभव है कि के.फि.प्र.बो द्वारा अस्वीकृत की गई दृश्यों को प्रमाणीकरण के बाद अर्न्तवेशन किया गया हो ।

यदि उपरोक्त कोई उल्लंघन आप को दिखाई देता है और यदि आप आपने नज़दीक के पुलीस स्टेशन में इस मामले का रिपोर्ट दर्ज करने की इच्छा नहीं रखते है तो के.फि.प्र.बो और/या जिलाधीश को इसकी सूचना दे सकते है या सामाजिक संस्था या प्रेस की तरफ से यह मामला इन अधिकारियों को प्रस्तुत कर सकते है ।

निष्कर्ष

इसलिए अगली बार जब बड़े पर्दे पर दिखाए गए कोई दृश्य/बात से आपको ठेस पहूँची है तो आप उसे छोड़ना नहीं , उस पर कुछ करना चाहिए ताकि आपके सह–नागरिकों की नैतिकता की सुरक्षा हो सकें ।